मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 14
25.11.2024 को उत्तर के लिए

वन संरक्षण

14. श्री जुगल किशोर :
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर :
श्री चिन्तामणि महाराज :
श्री नव चरण माझी :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वनों, वृक्षों और मैंग्रूव वनस्पति से आच्छादित भूमि के कुल क्षेत्रफल का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में, विशेषकर गुजरात के दाहोद में, वन और वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने तथा मैंग्रूव वनस्पति और आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु उठाए गए कदमों और कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का और इसके लिए किए गए बजटीय आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, जो मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, देश के वन और वृक्षावरण का द्विवार्षिक रूप से आकलन करता है और इसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं। आईएसएफआर 2021 के अनुसार देश के वन आवरण, वृक्ष आवरण और कच्छ वनस्पति क्षेत्र का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

(ख) वनों का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है । वन और वृक्षावरण की सुरक्षा के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और स्थानीय वन अधिनियमों/नियमों में उपयुक्त कानूनी

प्रावधान किए गए हैं।

इसके अलावा, केंद्र सरकार वन और वृक्षावरण में वृद्धि करने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), वन्यजीव पर्यावासों का विकास, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा), नगर वन योजना, तटरेखा पर्यावास और वास्तविक आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी), आदि के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सरकार द्वारा तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति के संरक्षण हेतु विनियामक उपायों के माध्यम से कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना (2019), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; भारतीय वन अधिनियम, 1927 और स्थानीय वन अधिनियम; जैव विविधता अधिनियम, 2002 और इन अधिनियमों के तहत समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के अंतर्गत सुरक्षा हेतु प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत आर्द्रभूमियों (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को भी देश भर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विनियामक ढांचे के रूप में अधिसूचित किया है, ताकि आर्द्रभूमि की पारिस्थितिकीय विशेषताओं को संरक्षित, प्रबंधित और अनुरक्षित किया जा सके।

गुजरात सरकार के वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, गुजरात के दाहोद जिले के लिए विभिन्न वानिकी कार्यकलाप आरंभ करने के लिए 68.25 करोड़ रुपये तक का वित्तीय आवंटन किया गया है। दाहोद जिले के लिए वित्तीय आवंटन का योजनावार विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत/जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध III(क), III(ख), III(ग), III(घ)** और **III(ङ)** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक-I

'वन संरक्षण' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 14 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आईएसएफआर 2021 के अनुसार वन आवरण, वृक्ष आवरण और मैंग्रोव आवरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वन आवरण	वृक्ष आवरण	मैंग्रोवावरण #
1	आंध्र प्रदेश	29,784	4,679	405
2	अरुणाचल प्रदेश	66,431	1,001	-
3	असम	28,312	1,630	-
4	बिहार	7,381	2,341	-
5	छत्तीसगढ	55,717	5,355	-
6	दिल्ली	195	147	-
7	गोवा	2,244	244	27
8	गुजरात	14,926	5,489	1,175
9	हरियाणा	1,603	1,425	-
10	हिमाचल प्रदेश	15,443	675	-
11	जम्मू और कश्मीर	21,387	2,867	-
12	झारखंड	23,721	7,494	-
13	कर्नाटक	38,730	2,820	१३
14	केरल	21,253	8,054	9
15	मध्य प्रदेश	77,493	12,108	-
16	महाराष्ट्र	50,798	169	324
17	मणिपुर	16,598	698	-
18	मेघालय	17,046	444	-
19	मिजोरम	17,820	365	-
20	नगालैंड	12,251	5,004	-
21	ओडिशा	52,156	1,138	259
22	पंजाब	1,847	8,733	-
23	राजस्थान	16,655	39	-
24	सिक्किम	3,341	4,424	-
25	तमिलनाडु	26,419	2,848	45
26	तेलंगाना	21,214	228	-
27	त्रिपुरा	7,722	7,421	-
28	उत्तर प्रदेश	14,818	1,001	-
29	उत्तराखंड	24,305	2,349	-
30	पश्चिम बंगाल	16,832	23	2,114
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,744	15	616
32	चंडीगढ़	22.88	32	-
33	दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	227.75	3,511	3
34	लद्दाख	2,272	954	-
35	लक्षद्वीप	27.10	0.05	-
36	पुदुचेरी	53.30	23	2
	कुल योग	**7,13,789**	**95,748**	**4,992**

 # मैंग्रोव आवरण वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।

अनुलग्नक-II

'वन संरक्षण' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 14 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

गुजरात के दाहोद जिले सहित गुजरात राज्य में कार्यान्वित की जा रहीं प्रमुख योजनाओं का विवरण

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	**गुजरात के लिए वित्तीय आवंटन**	**दाहोद जिले के लिए वित्तीय आवंटन**
वन प्रबंधन और विकास	436.70	21.98
घास संवर्धन परियोजना	62.00	5.39
काम्पा	246.73	11.18
सामाजिक वानिकी योजनाएँ	530.09	29.70
मिष्टी परियोजना	49.37	0.00*
कुल	1324.89	68.25

* दाहोद एक भू-आबद्ध क्षेत्र है। इसलिए यहां मिष्टी परियोजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

अनुलग्नक-III (क)

'वन संरक्षण' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 14 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा

क्रम सं.	**राज्य**	**वित्त वर्ष 2024-25 में आवंटित/जारी कुल राशि (करोड़ रुपए में)**
1	हरियाणा	12.19
2	जम्मू और कश्मीर	4.50
3	कर्नाटक	4.99
4	मध्य प्रदेश	23.61
5	सिक्किम	12.24
6	उत्तराखंड	25.16
	कुल	**82.70**

अनुलग्नक-III (ख)

'वन संरक्षण' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 14 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

केंद्र प्रायोजित योजना - 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी धनराशि का विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	वर्ष 2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2	आंध्र प्रदेश	0
3	अरुणाचल प्रदेश	696.546
4	असम	1234.4652
5	बिहार	0
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ	135.5825
8	गोवा	66.44425
9	गुजरात	0
10	हरियाणा	116.4861
11	हिमाचल प्रदेश	172.31067
12	जम्मू और कश्मीर	73.97099
13	झारखंड	71.93619
14	कर्नाटक	800.8251
15	केरल	356.13915
16	मध्य प्रदेश	486.77709
17	महाराष्ट्र	0
18	मणिपुर	390.593805
19	मेघालय	389.5938
20	मिजोरम	344.3258
21	नगालैंड	1044.063
22	ओडिशा	882.5023
23	राजस्थान	0
24	सिक्किम	221.17
25	तमिलनाडु	661.7872
26	तेलंगाना	0
27	उत्तर प्रदेश	393.86725
28	उत्तराखंड	652.247066
29	पश्चिम बंगाल	0
30	पुदुचेरी	0
31	लक्षद्वीप	108.5925
32	दिल्ली	0
33	त्रिपुरा	0
34	लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश	0
	कुल योग	**9300.655961**

अनुलग्नक-III (ग)

'वन संरक्षण' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 14 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

काम्पा के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक परिचालन योजना में स्वीकृत धनराशि का विवरण

(करोड रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2024-25
1	अंडमान और निकोबार	5.59
2	अरुणाचल प्रदेश	12.63
3	आंध्र प्रदेश	13.59
4	असम	0.37
5	बिहार	5.495
6	चंडीगढ़	शून्य
7	छत्तीसगढ	19.74
8	दिल्ली	6.56
9	गोवा	3.691
10	गुजरात	18.93
11	हरियाणा	39.57
12	हिमाचल प्रदेश	6.27
13	जम्मू और कश्मीर	3.31
14	झारखंड	11.498
15	कर्नाटक	23.87
16	केरल	2.3116
17	मध्य प्रदेश	6.94
18	महाराष्ट्र	12.24
19	मणिपुर	शून्य
20	मेघालय	0.77
21	मिजोरम	0.86
22	लद्दाख	शून्य
23	ओडिशा	70.18
24	पंजाब	43.65
25	राजस्थान	15.7756
26	सिक्किम	6.66
27	तमिलनाडु	8.396
28	तेलंगाना	59.34
29	त्रिपुरा	2.4
30	उत्तर प्रदेश	19.0034
31	उत्तराखंड	6.76
32	पश्चिम बंगाल	1.96
	कुल	**428.36**

अनुलग्नक-III (घ)

'वन संरक्षण' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 14 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

नगर वन योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी धनराशि का विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**वर्ष 2024-25**
1.	आंध्र प्रदेश	3604.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.00
3.	गुजरात	79.50
4.	जम्मू और कश्मीर	658.330
5.	कर्नाटक	1598.65
6.	मध्य प्रदेश	3260.97
7.	राजस्थान	914.95
8.	सिक्किम	279.43
9.	तेलंगाना	1890.00
10.	उत्तर प्रदेश	831.60
11.	**कुल**	**13141.99**

अनुलग्नक-III (ङ)

'वन संरक्षण' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 14 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय काम्पा के माध्यम से मिष्टी परियोजना के अंतर्गत राज्य को जारी/आबंटित धनराशि का विवरण**

क्रम सं.	**राज्य**	**वित्त वर्ष 2024-25 में जारी/आबंटित कुल धनराशि (करोड़ रुपए में)**
1	आंध्र प्रदेश	4.71
2	ओडिशा	0.70
	कुल	**5.41**

* राष्ट्रीय प्राधिकरण काम्पा में मिष्टी कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान है। जब भी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी कर दी गई है।

*****